रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, अक्तूबर 15—अक्तूबर 21, 2017, शनिवार/आश्विन 23—आश्विन 29, 1939

No. 41] NEW DELHI, OCTOBER 15— OCTOBER 21, 2017, SATURDAY/ASVINA 23—ASVINA 29, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 334.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण, ज्येष्ठ फोटोग्राफिक सहायक, समूह 'ख' भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण,ज्येष्ठ फोटोग्राफिक सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण, ज्येष्ठ फोटोग्राफिक सहायक, समूह 'ख' भर्ती नियम, 2015 में -

(1) नियम 2 में, दोनों स्थानों के "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान" शब्दों के स्थान पर दोनों जगह, जहां कहीं वे आवे "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची में -

(क) स्तंभ (4) में,

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नांकित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ii) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)"

(ख) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

"संयुक्त पद्धति : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जमा प्रोन्नति

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने काडर मूल या विभाग में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो ;

(ख) जिनके पास प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ;

आवश्यक : -

1. (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मुद्रण प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा ;

   (ii) किसी सरकारी स्थापन में कैमरा प्रक्रिया और फोटोलिथोग्राफी में 2 वर्ष का अनुभव;

2. (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मुद्रण प्रोद्योगिकी में प्रमाण पत्र;

   (ii) किसी सरकारी स्थापन में कैमरा प्रक्रिया और फोटोलिथोग्राफी में 3 वर्ष का अनुभव

वांछनीय :

(i) एयर फोटो मोजेक तैयार करने का अनुभव ; और

(ii) नक्शानवीसी कार्य, मानचित्रों, आरेखों, चार्टों से संबंधित फोटोग्राफी करने का अनुभव।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) में श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय फोटोग्राफिक सहायक पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा ही भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि, प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि सहित जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से

ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 16-4/2013/एनआरएम-II]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 28 फरवरी, 2015 में सा.का.नि. सं. 38, तारीख 26 फरवरी, 2015 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 9th October, 2017

G.S.R. 334.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Soil and Land Use Survey of India, Senior Photographic Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. **Short title & Commencement.—(1)** These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Soil and Land Use Survey of India, Senior Photographic Assistant, Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Soil and Land Use Survey of India, Senior Photographic Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015,-

(1) in rule 2, for the words, "pay band and grade pay or pay scale" in both the places when they occur, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the Schedule,

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted namely:-

"Level in the pay matrix";

(ii) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted namely:-

"Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix";

(b) for the entries under column(11) the following entries shall be substituted;

"Composite method: [Deputation (including short term contract) plus promotion]

Deputation (including short term contract)

Officers under Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Pubic Sector Undertakings or Universities or recognized research Institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organizations:

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(B) possessing the following educational qualifications and experience namely:-

Essential:

1. (i) Diploma in Printing Technology from a recognised Board or institute;

(ii) two years' experience in process camera and photo-lithography in any Government establishment;

2. (i) Certificate in Printing Technology from a recognized Board or institute.

(ii) three years' experience in process camera and photo-lithograhpy in any Government establishment.

Desirable:

(i) experience in preparation of air photo mosaic; and

(ii) Experience in handling cartographic works photography of: maps, diagrams, charts.

The departmental Photographic Assistant in level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years' regular service in the grade will also be considered along with the outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications)".

[F. No. 16-4/2013/NRM-II]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 28th February, 2015 vide G.S.R. number 38 dated 26th February, 2015.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 335.—पैनल वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को संघ लोक सेवा आयोग में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति महोदय, डॉ. के. बंगारूराजन, नियमित उप औषधि नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को पदोन्नति कोटा के अंतर्गत नियमित अस्थायी क्षमता में संशोधित वेतन संरचना लेवल-13 (1,23,100–2, 15,900 रुपए) [पीबी-4-37400-67000 रुपए + ग्रेड वेतन 8700/- रुपए (संशोधन पूर्व)] (समूह 'क',राजपत्रित, गैर सचिवालयीय) एवं सामान्य लागू भत्तों के साथ उसी संगठन में 11 अक्तूबर, 2017 के पूर्वाह्न से संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

2. पदोन्नति के बाद, डॉ. के बंगारुराजन पदोन्नति की तिथि से अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 और इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अगली वार्षिक वृद्धि की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प देने के लिए पात्र हैं। इस तरह का विकल्प पदोन्नति की तिथि से एक माह के भीतर देना होगा।

3. तैनाती का आदेश, जहां आवश्यक होगा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा।

[सं. ए.-32012/1/2017-डीआर]

डी. एन. साहू, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

New Delhi the 12th October, 2017

G.S.R. 335.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting held in the Union Public Service Commission on 14th September, 2017 for the panel year 2017-18, the President is pleased to promote Dr. K. Bangarurajan, a regular Deputy Drugs Controller (I), Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services to the post of Joint Drugs Controller (India) in the same Organisation, in the revised pay structure Level-13 (Rs. 1,23, 100–2, 15,900) in the Pay Matrix [(PB-4 (Rs. 37400-67000 + GP Rs. 8700) (pre-revised)] (Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) plus usual admissible allowances in a regular temporary capacity under promotion quota.

2. The date of promotion of Dr. K. Bangarurajan will be with effect from the fore-noon of 11th October, 2017 i.e. the date on which the competent authority has approved the acceptance of the recommendations of the DPC.

3. On promotion, Dr. K. Bangarurajan is entitled to opt for fixation of pay in the revised pay structure from the date of promotion or the date of next annual increment in accordance with the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 and instructions issued by the Government in this regard. Such option must be exercised within one month from date of promotion.

4. The orders of posting, if necessary, will be issued by the Directorate General of Health Services.

[No. A.32012/1/2017-DR]

D. N. SAHOO, Dy. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 336.— भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 अप्रैल - 22 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133, तारीख 20 अप्रैल, 2017, के अंग्रेजी पाठ में, पंक्ति 4 में, "3. (1) इन नियमों" के स्थान पर "1. (1) इन नियमों" पढ़ा जायेगा ।

[फा. सं. ए-12018/1/2009-प्रशा.-1 (वि.वि.)]

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th October, 2017

G.S.R. 336.—In the English version of the notification of the Government of India, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, number G.S.R. 133 dated the 20th April, 2017, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated April 16 – April 22, 2017, in line 4, for "3. (1) These rules" read "1. (1) These rules".

[F. No. A-12018/1/2009-Admn.I (LD)]

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

शुद्धि–पत्र

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 337.—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 अप्रैल - 22 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 132, तारीख 20 अप्रैल, 2017 के अंग्रेजी पाठ में, -

(i) पंक्ति 4 में, "2. (1) इन नियमों" के स्थान पर "1. (1) इन नियमों" पढ़ा जायेगा ;

(ii) पंक्ति 7 में, "3. विधि और न्याय मंत्रालय" के स्थान पर "2. विधि और न्याय मंत्रालय " पढ़ा जायेगा ।

[फा. सं. ए-12018/1/2009-प्रशा.-1 (वि.वि.)]

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th October, 2017

G.S.R. 337.—In the English version of the notification of the Government of India, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, number G.S.R. 132 dated the 20th April, 2017, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated April 16 – April 22, 2017,-

(i) in line 4, for "2. (1) These rules" read "1. (1) These rules";

(ii) in line 7, for "3. In the Ministry" read "2. In the Ministry".

[F. No. A-12018/1/2009-Admn.I (LD)]

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. .338—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, मुख्य नियोजक समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, मुख्य नियोजक समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, मुख्य नियोजक समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 2011 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ 4 में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर.";

(ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"स्तर-14 (₹144200-218200/-).";

(ख) स्तंभ 11 में, "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति" उप-शीर्ष के अधीन,-

(I) मद (क) में,-

(i) उप-मद (ii) में, शब्दों और अंकों "वेतन बैण्ड-4 ₹37400-67000/- + ग्रेड वेतन ₹8900/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13क (₹131100-216600/-)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-मद (iii) में, शब्दों और अंकों "वेतन बैण्ड-4 ₹37400-67000/- + ग्रेड वेतन ₹8700/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (₹123100-215900/-)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) मद (ख) में, उप-शीर्ष के अंतर्गत "नोट' में, शब्दों और अंकों "वेतन बैण्ड-4 ₹37400-67000/- + ग्रेड वेतन ₹8700/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (₹123100-215900/-)" शब्द और अंक रखे जाएंगे और शब्दों और अंकों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹7600/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (₹78800-209200/-)" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-12018/1/2016-सीपी/टीसीपीओ/प्रशा. III (पीपी एंड सी)/अमृत-IIए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 828(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANISATION)

New Delhi, the 26th September, 2017

G.S.R. 338.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development (which is now known as "Ministry of Housing and Urban Affairs"), Town and Country Planning Organisation, Chief Planner Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2011, namely:–

1. (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Town and Country Planning Organisation, Chief Planner Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Urban Development (which is now known as "Ministry of Housing and Urban Affairs"), Town and Country Planning Organisation, Chief Planner Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.–The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level-14 (₹144200-218200/-).";

(b) in column (11), under sub-heading "Deputation (including short term contract) or Promotion",-

(I) in item (A),-

(i) sub-item (ii), for the words and figures "Pay Band-4, ₹37400-67000/- with Grade Pay of ₹8900", the words and figures "Level-13A in the pay matrix (₹131100-216600/-)" shall be substituted;

(ii) sub-item (iii), for the words and figures "Pay Band-4, ₹37400-67000/- with Grade Pay of ₹8700", the words and figures "Level-13 in the pay matrix (₹123100-215900/-)" shall be substituted;

(II) in item (B), under sub-heading "Note", for the words and figures "Pay Band-4, ₹37400-67000/- with Grade Pay of ₹8700", the words and figures "Level-13 in the pay matrix (₹123100-215900/-)" shall be substituted and for the words and figures "Pay Band-3, ₹15600-39100/- with Grade Pay of ₹7600", the words and figures "Level-12 in the pay matrix (₹78800-209200/)" shall be substituted.

[F. No. A-12018/1/2016-CP/TCPO/Admn. III (PP and C)/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 828(E), dated 23rd November, 2011.

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 339.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, सह नगर एवं ग्राम नियोजक एवं सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, सह नगर एवं ग्राम नियोजक एवं सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, सह नगर एवं ग्राम नियोजक एवं सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 (इसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. **पदों की संख्या**, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(अ) अपर मुख्य नियोजक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(क) स्तंभ 4 में,-

(i) स्तंभ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर.";

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-13 (₹123100-215900/-).";

(ख) स्तंभ 11 में,-

(I) "प्रोन्नति" उप-शीर्ष के अंतर्गत,-

(i) शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹7600/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (₹78800-209200/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" उप-शीर्ष के अंतर्गत,-

(i) मद (क) में, उप-मद (ii) में शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹7600/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (₹78800-209200/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;

(आ) नगर एवं ग्राम नियोजक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(क) स्तंभ 4 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-12 (₹78800-209200/-).";

(ख) स्तंभ 11 में,-

(I) "प्रोन्नति" उप-शीर्ष के अंतर्गत,-

(i) शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹6600/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹67700-208700/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" उप-शीर्ष के अंतर्गत,-

(i) मद (क) में, उप-मद (ii) में शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹6600/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹67700-208700/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;

(इ) सह नगर एवं ग्राम नियोजक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,-

(क) स्तंभ 4 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-11 (₹67700-208700/-).";

(ख) स्तंभ 11 में,-

(I) "प्रोन्नति" उप-शीर्ष के अंतर्गत,-

(i) शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹5400/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100-177500/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" उप-शीर्ष के अंतर्गत,-

(i) मद (क) में, उप-मद (ii) में शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹5400/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100-177500/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;

(ई) सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,-

(क) स्तंभ 4 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-10 (₹56100-177500/-).";

(ख) स्तंभ 10 में, "सीधी भर्ती द्वारा" उप-शीर्ष के अंतर्गत, मद (क) में, उप-मद (ii) में शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-2 ₹9300-34800/- + ग्रेड वेतन ₹4800/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47600-151100/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-12018/3/2016-एसीपी से एटीपी/टीसीपीओ/प्रशा. III (पीपी एंड सी)/अमृत-IIए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 932(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 26th September, 2017

G.S.R. 339.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development (which is now known as "Ministry of Housing and Urban Affairs"), Town and Country Planning Organisation, Additional Chief Planner, Town and Country Planner, Associate Town and Country Planner and Assistant Town and Country Planner (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2012, namely:–

1. (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Town and Country Planning Organisation, Additional Chief Planner, Town and Country Planner, Associate Town and Country Planner and Assistant Town and Country Planner (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Urban Development (which is now known as "Ministry of Housing and Urban Affairs"), Town and Country Planning Organisation, Additional Chief Planner, Town and Country Planner, Associate Town and Country Planner and Assistant Town and Country Planner (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.–The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said rules, in the Schedule,-

(A) against serial number 1 relating to the post of Additional Chief Planner,-

(c) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-13 (₹123100-215900/-).";

(d) in column (11),-

(I) under sub-heading "Promotion",-

(i) for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹7600", the words, figures and letters "Level-12 in the pay matrix (₹78800-209200/-)" shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(II) under sub-heading "Deputation (including short term contract)",-

(i) in item (a), in sub-item (ii) for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹7600", the words, figures and letters "Level-12 in the pay matrix (₹78800-209200/)" shall be substituted;

(ii) Note 4 shall be omitted;

(B) against serial number 2 relating to the post of Town and Country Planner,-

(a) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-12 (₹78800-209200/-).";

(b) in column (11),-

(I) under sub-heading "Promotion",-

(a) for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹6600", the words, figures and letters "Level-11 in the pay matrix (₹67700-208700/-)" shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(II) under sub-heading "Deputation (including short term contract)",-

(a) in item (a), in sub-item (ii) for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹6600", the words, figures and letters "Level-11 in the pay matrix (₹67700-208700/)" shall be substituted;

(b) Note 4 shall be omitted;

(C) against serial number 3 relating to the post of Associate Town and Country Planner,-

(a) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-11 (₹67700-208700/-).";

(b) in column (11),-

(I) under sub-heading "Promotion",-

(a) for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400", the words, figures and letters "Level-10 in the pay matrix (₹56100-177500/-)" shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(II) under sub-heading "Deputation (including short term contract)",-

(a) in item (a), in sub-item (ii) for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400", the words, figures and letters "Level-10 in the pay matrix (₹56100-177500/)" shall be substituted;

(b) Note 4 shall be omitted;

(D) against serial number 4 relating to the post of Assistant Town and Country Planner,-

(a) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-10 (₹56100-177500/-).";

(b) in column (10), under sub-heading "By direct recruitment", in item (a), in sub-item (ii) for the words, figures and letters "pay band-2, ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4800", the words, figures and letters "Level-8 in the pay matrix (₹47600-151100/-)" shall be substituted;

[F. No. A-12018/3/2016-ACP to ATP/TCPO/Admn. III (PP and C)/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 932(E), dated 27th December, 2012.

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 340.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, बहु कार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, बहु कार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, बहु कार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ 4 में,-

(i) स्तंभ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर.";

(ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"स्तर-1 (₹18000-56900/-)."

[फा. सं. ए-12018/1/2016-एमटीएस/टीसीपीओ/प्रशा. III (पीपी एंड सी)/ अमृत-IIए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 69(अ), तारीख 06 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 27th September, 2017

G.S.R. 340.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development (which is now known as “Ministry of Housing and Urban Affairs”), Town and Country Planning Organisation, Multi-Tasking Staff (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2013, namely:–

1. (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Town and Country Planning Organisation, Multi-Tasking Staff (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Urban Development (which is now known as “Ministry of Housing and Urban Affairs”), Town and Country Planning Organisation, Multi-Tasking Staff (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2013, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

   "3. Number of post, classification and level in the pay matrix.–The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level-1 (₹18000-56900/-)."

[F. No. A-12018/1/2016-MTS/TCPO/Admn. III (PP and C)/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 69(E), dated 6th February, 2013.

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 341.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, सह वास्तुकार (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, सह वास्तुकार (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, सह वास्तुकार (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "**2. पद-संख्या**, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

   (क) स्तंभ 4 में,-

   (i) स्तंभ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "वेतन मैट्रिक्स में स्तर.";

   (ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

   "स्तर-11 (₹67700-208700/-).";

   (ख) स्तंभ (11) में,

   (i) उप-शीर्ष "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" के अधीन मद (क) के उप-मद (ii) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹5400/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100-177500/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

   (ii) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/3/2016-एए/टीसीपीओ/प्रशा. III (पीपी एंड सी)/अमृत-IIए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 933(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 5th October, 2017

G.S.R. 341.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development (which is now known as "Ministry of Housing and Urban Affairs"), Town and Country Planning Organisation, Associate Architect (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2012, namely:–

1. (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Town and Country Planning Organisation, Associate Architect (Group 'A' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Urban Development (which is now known as "Ministry of Housing and Urban Affairs"), Town and Country Planning Organisation, Associate Architect (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.——The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

4. In the said rules, in the Schedule,-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level-11 (₹67700-208700/-).";

(b) in column (11), -

(i) under sub-heading "Deputation (including short term contract)", in item (a), in sub-item (ii), for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400", the words, figures and letters "Level-10 in the pay matrix (₹56100-177500/-)" shall be substituted;

(ii) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-12018/3/2016-AA/TCPO/Admn. III (PP and C)/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 933(E), dated 26th December, 2012.

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 342.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, योजना इंजीनियर, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, योजना इंजीनियर, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, योजना इंजीनियर, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में,-

(i) स्तंभ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर.";

(ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"स्तर-11 (₹67700-208700/-).";

(ख) स्तंभ (11) में,

(i) "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" उप-शीर्ष के अंतर्गत, मद (क) में, उप-मद (ii) में, "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹5400/-" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100-177500/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/3/2016-पीई/टीसीपीओ/प्रशा. III (पीपी एंड सी)/अमृत-IIए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 935(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 5th October, 2017

G.S.R. 342.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development (which is now known as “Ministry of Housing and Urban Affairs”), Town and Country Planning Organisation, Planning Engineer, Group 'A' post Recruitment Rules, 2012, namely:–

1. (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Town and Country Planning Organisation, Planning Engineer, Group 'A' post Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Urban Development (which is now known as “Ministry of Housing and Urban Affairs”), Town and Country Planning Organisation, Planning Engineer, Group 'A' post) Recruitment Rules, 2012, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level-11 (₹67700-208700/-).";

(b) in column (11), -

(i) under sub-heading "Deputation (including short term contract)", in item (a), in sub-item (ii), for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400", the words, figures and letters "Level-10 in the pay matrix (₹56100-177500/-)" shall be substituted;

(ii) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-12018/3/2016-PE/TCPO/Admn. III (PP and C)/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 935(E), dated 18th December, 2012.

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 343.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोग्रामर, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोग्रामर, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के नाम से जाना जाता है), नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोग्रामर, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. **पदों की संख्या**, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(अ) प्रणाली विश्लेषक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(क) स्तंभ 4 में,-

(i) स्तंभ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर.";

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-11 (₹67700-208700/-).";

(ख) स्तंभ 11 में,-

(I) "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" उप-शीर्ष के अंतर्गत, मद (क) में,-

(i) उप-मद (ii) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹5400/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100-177500/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उप-मद (iii) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-2 ₹9300-34800/- + ग्रेड वेतन ₹4600/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-142400/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(आ) प्रोग्रामर के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(क) स्तंभ 4 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-10 (₹56100-177500/-).";

(ख) स्तंभ 11 में,-

(I) "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" उप-शीर्ष के अंतर्गत, मद (क) में,-

(i) उप-मद (ii) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-2 ₹9300-34800/- + ग्रेड वेतन ₹4800/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47600-151100/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उप-मद (iii) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैण्ड-2 ₹9300-34800/- + ग्रेड वेतन ₹4600/-" के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-142400/-)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. ए-12018/3/2016-एसए एंड प्रोग./टीसीपीओ/प्रशा. III (पीपी एंड सी)/अमृत-IIए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 934(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 5th October, 2017

G.S.R. 343.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development (which is now known as "Ministry of Housing and Urban Affairs"), Town and Country Planning Organisation, System Analyst and Programmer, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2012, namely:–

1. (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Town and Country Planning Organisation, System Analyst and Programmer, Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Urban Development (which is now known as "Ministry of Housing and Urban Affairs"), Town and Country Planning Organisation, System Analyst and Programmer, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

   "3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said rules, in the Schedule,-

(A) against serial number 1 relating to the post of System Analyst,-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix.";

(ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-11 (₹67700-208700/-).";

(b) in column (11),-

(I) under sub-heading "Deputation (including short term contract)", in item (a),-

(i) in sub-item (ii), for the words, figures and letters "pay band-3, ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400", the words, figures and letters "Level-10 in the pay matrix (₹56100-177500/-)" shall be substituted;

(ii) in sub-item (iii), for the words, figures and letters "pay band-2, ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4600", the words, figures and letters "Level-7 in the pay matrix (₹44900-142400/-)" shall be substituted;

(II) Note 3 shall be omitted;

(B) against serial number 2 relating to the post of Programmer,-

(a) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-10 (₹56100-177500/-).";

(b) in column (11),-

(I) under sub-heading "Deputation (including short term contract)", in item (a),-

(i) in sub-item (ii), for the words, figures and letters "pay band-2, ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4800", the words, figures and letters "Level-8 in the pay matrix (₹47600-151100/-)" shall be substituted;

(ii) in sub-item (iii), for the words, figures and letters "pay band-2, ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4600", the words, figures and letters "Level-7 in the pay matrix (₹44900-142400/-)" shall be substituted;

(II) Note 3 shall be omitted;

[F. No. A-12018/3/2016-SA and Prog. /TCPO/Admn. III (PP and C)/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 934(E), dated 27th December, 2012.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 344.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय, विभागीय कैंटीन (प्रबंधक ग्रेड–II) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय, विभागीय कैंटीन (प्रबंधक ग्रेड–II) समूह 'ख', भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय, विभागीय कैंटीन (प्रबंधक ग्रेड–II) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2, के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियमों के अनुसूची में, –

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर

वेतन मैट्रिक्स (35400–112400 रु.) में स्तर 6";

(ख) स्तंभ (11) में, –

(i) शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों "वेतन बैंड–1; 5200–20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (29200–92300 रु.) में स्तर–5" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों "वेतन बैंड–1; 5200–20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (25500–81100 रु.) में स्तर–4" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. ए. 12034/2/2017–प्रशा.]

ए. के. कौशिक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 105, तारीख 28 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 9th October, 2017

G.S.R. 344.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Departmental Canteen (Manager Grade-II) Group `B' Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Departmental Canteen (Manager Grade-II), Group `B', Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Departmental Canteen (Manager Grade-II), Group `B' Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix .—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. "In the Schedule to the said rules,--

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix

Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.";

(b) in column (11),

(i) for the words, figures, brackets and letters "Pay Band-1: (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2800", the words, ``figures, brackets and letters "level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted;

(ii) for the words, figures, brackets and letters " the Pay Band-1: (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2400", the words, figures, brackets and letters "level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted;

(iii) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A. 12034/2/2017-Admn.]

A. K. KAUSHIK, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R. 105, dated the 28th May, 2015.

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 345.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय, विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय, विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 में ,—

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है"।

(अ) सहायक प्रबंधक—सह—भंडारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वेतन मैट्रिक्स (25500—81100 रु.) में स्तर 4";

(ii) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन स्तंभ में, क्रम संख्या (i) के सामने शब्द और अंक "वेतन बैंड 1: 5200—20200 रु. + 1900 रु." शब्द, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स (19900—63200 रु.) में स्तर 2" रखे जाएंगे और क्रम संख्या (ii) शब्द और अंक वेतन बैंड—1: 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु." शब्द, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स (21700—69100 रु.) में स्तर 3" रखे जाएंगे;

(iii) टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या (क) के सामने प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन स्तंभ (11) में, शब्द और अंक "वेतन बैंड 1: 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु." शब्द, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स (19900—63200 रु.) में स्तर 2" रखे जाएंगे।

(आ) हलवाई—सह—रसोइया के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स (21700—69100 रु) में स्तर 3", रखी जाएंगी;

(ii) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन स्तंभ (11) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स (19900—63200 रु.) में स्तर 2" रखे जाएंगे;

(iii) टिप्पण (1) का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या (क)(i) के सामने प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन स्तंभ (ii) में, शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन बैंड 1: 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु." शब्द, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स (19900—63200 रु.) में स्तर 2" रखे जाएंगे; और

(v) टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;

(इ) सहायक हलवाई–सह–रसोइया के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,–

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियां " रु. 19900–63200 रु, वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2", रखी जाएंगी;

(ii) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन स्तंभ (11) में, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स (18000–56900 रु.) में स्तर–1 " रखे जाएंगे, और

(iii) टिप्पण (1) का लोप किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या (क)(i) के सामने प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन शब्द और अंक "वेतन मैट्रिक्स (18000–56900 रु.) में स्तर 1" रखे जाएंगे।

(v) टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;

(ई) लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने;

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स (19900–63200 रु)" में स्तर 2", प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ii) स्तंभ (11) में,–

(i) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन, शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (19900–63200 रु.) में स्तर 2, प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(क) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वेतन बैंड 1: 5200–20200 रु + ग्रेड वेतन 1800 रु." शब्द, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स (18000–56900 रु.) स्तर 1" रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 1 के सामने प्रोन्नति शीर्षक के अधीन, टिप्पण 1 के सामने, "आवश्यक" शब्द के स्थान पर "वांछनीय" शब्द रखा जाएगा;

(iii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ङ) कैंटीन परिचर के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स (18000–56900 रु) में स्तर 1" रखी जाएंगी।

[फा. सं. ए. 12034/9/2017–प्रशा.]

ए. के. कौशिक, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्या 261, तारीख 15 दिसंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 9th October, 2017

G.S.R. 345.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Departmental Canteen Group `C' Posts, Recruitment Rules, 2014, namely:-

(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Departmental Canteen Group `C' Post (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Departmental Canteen Group `C' Post Recruitment Rules, 2014,

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said post, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

(b) In the Schedule,---

(A) against serial number 1, relating to the post of Assistant Manager-cum-Storekeeper,---

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

Level in pay matrix, Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)";

(ii) in column (11) under the heading Promotion, against serial number (i) for the words and figures "Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900", the words, figures and brackets "Level 2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)" shall be substituted and serial number (ii) for the words and figures "Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2000", the words, figures and brackets "Level 3 in the Pay Matrix (Rs. 21700-69100)" shall be substituted;

(iii) Note 1 shall be omitted;

(iv) in column (11) under the heading Deputation against serial number (a) (i) for the words and figures "Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900", the words, figures and brackets "Level 2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)" shall be substituted;

(v) Note 4 shall be omitted;

(B) against serial number 2, relating to the post of Halwai-cum-Cook,

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level 3 in the pay matrix (Rs. 21700- 69100)" shall be substituted;

(ii) in column (11) under the heading Promotion, for the words and figures "Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900", the words, figures and brackets "Level 2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)" shall be substituted;

(iii) Note 1 shall be omitted;

(iv) in column (11) under the heading Deputation against serial number (a) (i), for the words and figures "Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900", the words, figures and brackets "Level 2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)" shall be substituted; and

(v) Note 4 shall be omitted;

(C) against serial number 3, relating to the post of Assistant Halwai-cum-Cook,

(i) in column (4), the entries "Level 2 in the pay matrix Rs. 19900-63200" shall be substituted;

(ii) in column (11) under heading Promotion, for the words and figures "Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1800", the words, figures and brackets "Level 1 in the Pay Matrix (Rs. 18000-56900)" shall be substituted; and

(iii) Note 1 shall be omitted;

(iv) in column (11) under heading Deputation, against serial number (a) (i), for the words and figures "Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1800", the words, figures and brackets "Level 1 in the Pay Matrix (Rs. 18000-56900)" shall be substituted; and

(v) Note 4 shall be omitted;

(D) against serial number 4, relating to the post of Clerk,

(i) in column (4), for the entries, the entries the entries "Level 2 in the pay matrix Rs. 19900-63200" shall be substituted;

(ii) in column (11):

(a) under heading Promotion, for the words and figures "Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1800", the words, figures and brackets "Level 1 in the Pay Matrix (Rs. 18000-56900)" shall be substituted;

(b) under heading Promotion, against Note 1: for the word "mandatory", the word "desirable" shall be substituted, and

(iii) Note 2 shall be omitted;

(E) against serial number 5, relating to the post of Canteen Attendant, in column (4), for the entries, the entries "Level 1 in the Pay Matrix (Rs. 18000-56900)" shall be substituted.

[F. No. A. 12034/9/2017-Admn.]

A. K. KAUSHIK, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 261, dated the 15th December, 2014.

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 346.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तकनीकी प्रचालक (यांत्रिक), भर्ती नियम, 1990 की उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में तकनीकी प्रचालक (यांत्रिक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, तकनीकी प्रचालक (यांत्रिक), समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
तकनीकी प्रचालक (यांत्रिक)	31* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने ले लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा के साथ जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फ़िटर व्यवसाय या डीज़ल मिस्त्री या मोटर मिस्त्री या ट्रेक्टर मिस्त्री का प्रमाणपत्र हो **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष	लागू नहीं होता

2.	कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	
3.	प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	

[फा. सं. 23/04/2016/ के.भू.ज.बो.]

रामेश्वर नाथ दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 9th October, 2017

G.S.R. 346.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, Technical Operator (Mechanical) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Operator (Mechanical) in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Technical Operator (Mechanical), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Operator (Mechanical).	31*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18000) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the ag- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of Recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculate from a recognised Board with Certificate from Industrial Training Institute in the trade of Fitter or Diesel Mechanic or Motor Mechanic or Tractor Mechanic. **Note :** Qualification is relaxable at the discretion of the Central Government / Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various method.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Director (Administration) Central Ground Water Board – Chairman 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member	Not applicable

[F. No. 23/04/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 347.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, खांचा मशीन ऑपरेटर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2009 की, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी – I) और खांचा

मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी – II), समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी- I) और खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी – II), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.खांचा मशीन ऑपरेटर (अति) कुशल श्रेणी - I)	04* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	लागू नहीं होता	**प्रोन्नति:** खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल श्रेणी - II) में से

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 के खांचा मशीन ऑपरेटर (अति कुशल - II) की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा पूरी करने पर। **प्रशिक्षण :** स्तर-5 में खांचा मशीन ऑपरेटर – (अति कुशल श्रेणी - I) पर प्रोन्नति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से ड्रिलिंग और सहायक उपस्कर के रख रखाव में दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. खांचा मशीन ऑपरेटर, (अति कुशल श्रेणी - II)	05* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 रु.)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से खरादी या मैकेनिक प्रमाणपत्र; और (iii) किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या ख्याति प्राप्त निजी संगठन से खांचा मशीन ऑपरेटर या खरादी या मैकेनिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता(एँ) (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है । जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 23/08/2016- के.भू.ज.बो.]

रामेश्वर नाथ दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October, 2017

G.S.R. 347.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Slotting Machine Operator, Group 'C' post Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-I) and Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II), Group 'C' posts in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Slotting Machine Operator(Highly Skilled Grade-I) and Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix.—**The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, ag- limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-I)	04*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	LEVEL-5 (Rs.29200) in the Pay Matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	No

Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(9)	(10)
Not applicable	**Promotion:** From amongst Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)
Promotion: On completion of five years regular service in the grade of Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II) in Level-4 in the Pay Matrix. **Training:** Two weeks training in maintenance of drilling and ancillary equipment from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other National level Institute is mandatory for promotion to Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-I) in Level-5.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Slotting Machine Operator (Highly Skilled Grade-II)	05*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	LEVEL-4 (Rs.25500) in the Pay Matrix.	Not applicable

(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (i) Matriculation from recognised Board. (ii) Turner or Mechanic certificate from the Industrial Training Institute; and (iii) Three years experience in operation of Slotting Machine or as Turner or Mechanic from Government or Semi- Government or Reputed Private Organisation. **Note :** The qualification(s) regarding experience is relexable at the discretion of the Central Government (for reasons to be recorded in writing) in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9)	(10)
No	Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Committee for Confirmation consisting of:—** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 23/08/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 348.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बेतार योजना और समन्वय तथा मोनिट्रिंग संगठन (कनिष्ठ बेतार अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग कनिष्ठ बेतार अधिकारी बेतार योजना और समन्वय खंड और मानीटरिंग संगठन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेतार योजना और समन्वय तथा निगरानी संगठन (कनिष्ठ बेतार अधिकारी) (समूह ख) भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ बेतार अधिकारी	168* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	भारतीय रेडियो विनियामक सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400 से 112400/- रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
30 वर्ष से अनधिक (केद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए **5** वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।**)** **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या बोर्ड से दूरसंचार या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोनिकस या रेडियो संचार के क्षेत्र में इंजीनियरी में डिप्लोमा । **वांछनीय :** (अ) 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से दूरसंचार या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो संचार के क्षेत्र में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मेरीटाइम मोबाइल या एकरोमोबाइल संचार में प्रमाण पत्र (आ) किसी सरकारी अथवा प्राइवेट सेक्टर सूचिबद्ध* संगठन में रेडियो संचार उपस्कर के प्रचालन और रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव * पब्लिक शेयर धारियों के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या कंपनियों पर सूचिबद्ध कारपोरेट अस्तित्व।

	टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष परिवीक्षा के भाग के रूप में विभाग द्वारा यथा विहित और प्रायोजित तीन माह के प्रतिष्ठान प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आज्ञापक होगा।	100% सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण 1 :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) संयुक्त बेतार सलाहकार प्रशासनिक काडर का भार साधक -अध्यक्ष (2) उप बेतार सलाहकार (बेतार सलाहकार द्वारा नामनिर्देशित रूप में) -सदस्य (3) निदेशक या उप सचिव प्रशा. II दूरसंचार विभाग -सदस्य	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. एस-12018/01/2015-प्रशा. I]

अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 6th October, 2017

G.S.R. 348.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation (Junior Wireless Officer) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Junior Wireless Officer, in Wireless Planning and Coordination Wing and Monitoring Organisation, Ministry of Communications, Department of Telecommunications, namely:-

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation (Junior Wireless Officer), (Group 'B') Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification** .—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation to this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Wireless Officer	168 *(2017) *Subject to variation dependent on workload.	Indian Radio Regulatory Service Group "B" Non-Gazetted Non-Ministerial	Level- 6 (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years **Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep**).**	**Essential :** Diploma in Engineering in the flied of Telecommunications or Electrical or Electronics or Radio Communications from a recognised university or Institute or Board **Desirable:** (A) (I) Degree in Engineering or Technology in the fields of Telecommunications or Electrical or Electronics or Radio Communications from a recognized university or Institute Or (II) Certificate in maritime mobile or Acro-Mobile communications from recognised university or Institute. (B) Two Years' Experience in operation and maintenance of Radio Communications equipment in a Government or private sector listed * organisation. * corporate entities listed on the national stock exchanges or companies with public share holdings. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribes if at any stage of Selection is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possess the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
NA	Two Years. Successful completion of mandatory three months foundation training programme as prescribed and sponsored by the department, as part of probation.	100 % Direct Recruitment **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the central Government officers holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7). (period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion /deputation absorption to be made
(11)
Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :- 1. Joint Wireless Adviser in charge of Administration of Cadre - Chairman 2. Deputy Wireless Adviser (As nominated by the Wireless Adviser) - Member 3. Director or Deputy Secretary (Admn.II), Deptt. of Telecom – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary in making recruitment.

[F. No. A-12018/01/2015-Admn.II]

ANIL KUMAR SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.10.31 13:09:48 +05'30'